



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 200]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 मई 2015—ज्येष्ठ 4, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मई 2015

क्र. एफ ए-3-28-2015-1-पांच (25).—मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वामियों को शुजीत सरकार द्वारा निर्देशित फिल्म “पीकू” के सिनेमाघरों में प्रदर्शन पर, इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से मनोरंजन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है। सिनेमाघरों के स्वामी द्वारा इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से पूर्व में प्रचलित प्रवेश की दर को उतनी ही सीमा तक कम की जाएगी, जितनी राशि की छूट प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 25 मई 2015

क्र. एफ ए-6-28-2015-1-पांच (25).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-28-2015-1-पांच (25), दिनांक 25 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव।

Bhopal, the 25th May 2015

No. F. A-3-28-2015-1-V (25).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Madhya Pradesh Vilasita. Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhiniyam, 2011 (No. 11 of 2011), the State Government, hereby, exempts the Proprietors registered under the said Act from the payment of entertainment tax in respect of screening of film “PIKU”, Directed by SHOOJIT SIRCAR, in cinema halls from the date of publication of this notification. The rate of admission prevailing prior to the issue of this notification shall be reduced by the proprietor of the cinemas to the extent of the exemption granted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.